

अपूरणीय क्षति:- प्रथम दोनों बिंदू सायला के पक्ष में साबित हुए हैं। साथ ही गैरसायलान संख्या 1 द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर चेतक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण करने से इंकार नहीं किया सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थी को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का साना करना पड़ेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक गैरसायलान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास भू-अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 17-04 बीघा किस्म बारानी अब्बल है में रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायके कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

गयम

लिंग
देवीलां
हू
थान
त्रदारकलां
राज.

2019

2024

न्तर्गत
किया
डकलां
रलाल
कला,
बारानी
दूलाई स्व
तथ
पूर्व
श है8 व
रला
ल